

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का अध्ययन

दिलबाग सिंह मोरोडिया¹, शरद कुमार वर्मा²

¹पीएचडी शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक।

²प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक।

Corresponding author: दिलबाग सिंह मोरोडियाए पीएचडी शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक।

Email: meghwalsingh35@gmail.com

प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्ययन डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का मूल्यांकन करने का एक प्रयास है। उनकी सोच और विचारों को समझने के लिए, विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र की गई थी, जैसे पुस्तकें, लेख, संदर्भ सामग्री, और अन्य संसाधन। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समाज में समानता, न्याय और सम्मान के महत्व को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा, महिला सम्मान, दलित आरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। उनका दृष्टिकोण समाज के साथीकरण और समृद्धि की दिशा में था। उन्होंने समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देने के लिए आवाज बुलंद की और समाज में उच्च शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और समानता को प्रोत्साहित किया और दलितों के अधिकारों की रक्षा की। उनके विचारों ने समाज में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा दी।

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, शिक्षा, महिला सम्मान, दलित आरक्षण

SDES- International Journal of Interdisciplinary Research is a journal of Open access. In this journal, we allow all types of articles to be distributed freely and accessible under the terms of the creative common attribution- non commercial-share. This allows the authors, readers and all scholars and general community to understand, use and to develop non-commercially work, as long as appropriate credit is given and the newly developed work are licensed with similar terms.

How to cite this article: मोरोडिया दि. सिं., वर्मा श. कु. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का अध्ययन. SDES-IJIR; 2023; 4-6: 733-736

Submitted: 26-December-2023; **Accepted:** 29-December-2023; **Published:** 8-January-2024

भूमिका

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर एक महान विद्वान और प्रतिष्ठित शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत और विदेश में अपने अध्ययन किए। बीसवीं सदी की शुरुआत में, जब अधिकांश अनुसूचित जाति के लोगों को केवल कम शिक्षा ही प्राप्त होती थी, तब डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की और विदेश की प्रमुख विश्वविद्यालयों से कई उच्च उपाधियाँ प्राप्त की। एक विद्वान के रूप में, उन्होंने सेमिनारों में भाग लिया, पेपर्स प्रस्तुत किए, पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे और कई किताबें लिखीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और कुछ समय तक बॉम्बे के सरकारी विधि महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। लेकिन उन्होंने राष्ट्र की सेवा और पिछड़े वर्गों के कल्याण में पूर्णतः समर्पित होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बहुमुखी है। शिक्षक और प्रधानाध्यापक होने के अतिरिक्त, वह शिक्षा के महान वक्ता और राष्ट्रीय प्रस्तावना और शिक्षण संस्थानों के संस्थापक और निर्माता भी थे। इसके अलावा, बौद्ध की तरह, वे जनता के महान शिक्षक और शिक्षाविद भी थे।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, दलितों के अधिकारों तथा शिक्षा की महत्ता पर जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा को एक बाधिन के दूध के समान समझा, जिन लोगों ने इसे पी लिया, वे निष्क्रिय नहीं रहेंगे। अंबेडकर ने यह भी कहा, "सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को व्यापक बनाया जाना चाहिए।" उन्होंने यह माना कि शिक्षा व्यापक तरीके से पक्षपात को समाप्त करती है, जो

स्वामित्वहीन लोगों को कई रूपों में शोषण और शासन का सामना करना पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति सत्ताधारियों द्वारा उठाए गए चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। शिक्षा मानवीय दृष्टिकोण को सुधारती है, समाजिक रूढ़ियों को तोड़ती है। इसका सबसे बड़ा लाभ आत्म-विश्वास को बढ़ाने में होता है, जो व्यक्तिगत विकास का प्राथमिक चरण माना जाता है।¹

अंबेडकर अपने एक भाषण में कहते हैं, "लोग जब तक जीवन के संघर्ष में शिक्षित नहीं होते तब तक वे समाज की समस्याओं के चुंगल जैसे कि अपमान, दबाव, और अनादर में फंसे रहते हैं, इसलिए शिक्षा प्रदान करके उन्हें तेजी से आगे बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है।" अंबेडकर के समय में अनुच्छेदों की शिक्षा की स्थिति बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा, "अनुच्छेदों को ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों ने मिलकर दलित वर्ग एवं उपेक्षित वर्ग से जानबूझकर दूर रखा। ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों ने मिलकर शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित किया। इन अनुच्छेदों के सहारे उन्होंने उपेक्षित वर्ग से अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया।"² डॉ० अंबेडकर ने सरकार के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया। उन्होंने अनुच्छेदों के साथ हुए अनुभव के बाद शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की कोशिश की। अंबेडकर का मानना था, "शिक्षा मानसिक और शैक्षिक विकास का उपकरण है, समाजिक गुलामी और आर्थिक विकास का उपकरण है।"² शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने अनिवार्य शिक्षा कानून की मांग की। उन्होंने कहा, "प्राथमिक शिक्षा का विस्तार सबसे प्रबल मुद्दा है। आजकल उन देशों में जो अधिकांश अनुच्छेदों को अपशिक्षित मानते हैं, वह जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय विकास का आधार है। अगर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार सामान्य जनता की इच्छा पर निर्भर होता है, तो इसमें और समय लगेगा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य कानून को लागू किया जाना चाहिए।"

सशक्तिकरण:

सशक्तिकरण से तात्पर्य व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, शैक्षिक, लैंगिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि से है। यह शब्द सशक्तिकरण व्यापक अर्थों, व्याख्याओं, परिभाषाओं और शास्त्रों के विस्तृत दृष्टिकोण को सम्मिलित करता है, जो मनोविज्ञान और दार्शनिकता से लेकर व्यावसायिक रूप से उच्चतम दर्जे के आत्मसहायता और प्रेरक विज्ञान तक के विभिन्न विषयों को समाविष्ट करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण उन सदस्यों को संदेश निर्धारण प्रक्रियाओं से निकालने की उपेक्षा करता है जिन्होंने सामाजिक भेदभाव के तंत्रों द्वारा निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं से बाहर किया है, जैसे – विकलांगता, जाति, जाति, धर्म या लैंगिकता पर आधारित भेदभाव। सशक्तिकरण एक विधि के रूप में महिलावाद से जुड़ा होता है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो असमानता में पड़े व्यक्तियों के लिए मूलभूत अवसर प्राप्त करने की होती है, या सीधे रूप से व्यक्तियों द्वारा या ऐसे गैर-असमानता वाले अन्य व्यक्तियों की मदद से जो अपने अपने अवसरों की पहुँच साझा करते हैं। सशक्तिकरण में यह भी शामिल है कि स्व-संपर्क या किसी समूह को दानशक्ति, अधिकार और प्रभाव का पूरा पहुँच दिया जाए, और जब वे दूसरे लोगों, संस्थानों या समाज के साथ संलग्न होते हैं, तो उस शक्ति का उपयोग कर सकें। अन्य शब्दों में, "सशक्तिकरण मानवों को शक्ति देना नहीं है; लोगों के पास पहले से ही बहुत सारी शक्ति है, उनके ज्ञान और प्रेरणा के धन में, जो उनके काम को महान बनाने के लिए है। इससे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जीवन या कार्य वातावरण में उत्कटता से उत्तर देने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करें और अंत में खुद को या समाज को विकसित करें। सशक्तिकरण व्यक्तियों और समुदायों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है।³

डॉ० अंबेडकर के अनुसार, 'सशक्तिकरण' समाज में समानता, स्वतंत्रता, और सम्मान की महत्वपूर्ण अवस्था है। उन्होंने समाज में सभी वर्गों को उनके अधिकारों और सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार देने का जोर दिया। सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और न्याय को स्थापित करना था, जिसमें अंबेडकर ने जाति और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और विभाजन को खत्म करने का समर्थन किया। उन्होंने समाज में शिक्षा, रोजगार, और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहित किया। डॉ० अंबेडकर का सशक्तिकरण का संदेश समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हर व्यक्ति अपने पूर्ण पोतेशियल को समझ सकें और समाज में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें।⁴

शिक्षा पर डॉ० अंबेडकर के विचार:

शिक्षा मानव समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। किसी व्यक्ति को शिक्षित नहीं माना जा सकता जब तक वह शिक्षित नहीं होता। यह मानव मस्तिष्क को सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति शिक्षित होता है, तो वह एक तर्कसंगत व्यक्ति बन जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान और सूचना प्राप्त होती है और विश्व भर में फैलती है। शिक्षित व्यक्ति अज्ञानता के आँचल में बंद होता है, जो कि अक्षम होता है पढ़ने-लिखने के लिए और सभी ज्ञान और ज्ञान के पास से बच्चा हुआ रहता है। उत्तराधिकारी, एक शिक्षित व्यक्ति एक कमरे में रहता है, जिसमें उसकी सभी खिड़कियाँ बाहरी दुनिया की ओर खुली होती हैं। शिक्षा प्राप्त करना केवल ज्ञान प्राप्त करने और शैक्षिक पदक अर्जित करने का मतलब नहीं होता। शिक्षा को मुक्त मन और स्वतंत्र विचार की दिशा में होना चाहिए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधना के रूप में देखा जो समाज में समानता, स्वतंत्रता, और न्याय की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार, शिक्षा व्यक्ति को समर्थ बनाती है उसके अधिकारों को समझने और स्वीकार करने में। शिक्षा केवल विद्यालयीन शिक्षा से ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसकी सोच, दृष्टिकोण, और सामाजिक जिज्ञासा को विकसित करने का एक साधन भी थी।

अम्बेडकर ने शिक्षा को समाज में समानता, न्याय, और समरसता को स्थापित करने का माध्यम माना। उन्होंने इसे एक सामाजिक परिवर्तन और अनुशासन का माध्यम भी बताया। अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो व्यक्ति शिक्षित होता है, वह समाज में सक्रिय भागीदारी करके समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। उनका दृष्टिकोण शिक्षा के माध्यम से समाज को समृद्ध, समरस और न्यायमय बनाने के लिए था, जिससे लोग अपने पोटेंशियल को समझ सकें और समाज में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

महिला सम्मान:

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं की स्थिति और उनके सम्मान को लेकर एक नए दृष्टिकोण को साझा किया। उनके अनुसार, महिलाएं समाज में समानता और न्याय की प्राप्ति के लिए अभिन्न हिस्सा होती हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान की महत्ता को उजागर किया और उन्हें समाज में समान दर्जा और स्थान प्राप्त करने का आह्वान किया।

अम्बेडकर का मानना था कि महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में उन्हें अपनी खुद की उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। उन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना और उन्हें समाज में अपनी आवाज बुलंद करने की प्रेरणा दी। उन्होंने समाज को महिलाओं के सम्मान और समानता के प्रति जागरूक करने का काम किया और उन्हें समाज में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जीवनभर संघर्ष किया और उन्हें समाज में समर्थ और समान दृष्टि के साथ जीने का हक दिलाया।

दलित आरक्षण

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, दलित आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम था जो समाज में विशेष वर्गों के लिए न्याय और समानता को स्थापित करने का प्रयास था। उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण के माध्यम से समाज में समानता की प्राप्ति का संकेत दिया। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को समाज में उनके हक को प्राप्त करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की। उन्होंने यह कहा कि दलितों को समाज में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनके प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण देना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को समाज में सम्मानित और समान दृष्टि के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके अनुसार, दलित आरक्षण से समाज में समानता और न्याय को स्थापित करने में मदद मिलेगी और दलित समुदाय को सकारात्मक रूप से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।

निष्कर्ष :

अम्बेडकर चाहते थे कि लोग अपने बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को विकसित करें; यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा को उजागरता और संवेदना के दरवाजों तक पहुंचने का साधन माना था जो अंधकार और अज्ञान के क्षेत्रों को हटाने के लिए होता है। अम्बेडकर ने सामाजिक मुक्ति के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समाज में सशक्तिकरण के महत्व को अद्भुत रूप से साबित किया। उन्होंने समाज को विशेष ध्यान देने का संकेत दिया कि समानता, स्वतंत्रता और सम्मान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्ति की सोच और समाज में समानता और न्याय का निर्माण करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा उनके दृष्टि में एक शक्तिशाली उपाय थी, जो व्यक्ति को समर्थ बनाती है उसके अधिकारों को समझने और स्वीकार करने में। महिलाओं के सम्मान के मामले में, अम्बेडकर ने उन्हें समाज में समानता और सम्मान के प्रति जागरूक किया, और उन्हें उच्च शिक्षा और समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया।

दलितों के लिए आरक्षण की मांग उनकी दृष्टि में उनके समाज में समानता और न्याय की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। अम्बेडकर का मानना था कि इन सभी मुद्दों पर समाज में सुधार करना जरूरी है ताकि समाज समृद्धि और समानता की दिशा में आगे बढ़ सके और हर व्यक्ति अपने पूर्ण पोटेंशियल को समझ सके। उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की और समाज में सुधार के लिए नेतृत्व किया।

वित्तीय सहायता और प्रायोजन : शून्य

हितों का टकराव : हितों का कोई टकराव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1) अंजनीकर भगवान। सिद्धार्थ कॉलेज के पेपर्स से विचार, विद्या उपासक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर (अनुवाद), नांदेड, निर्मल प्रकाशन, 1999, पृष्ठ 23।
- 2) डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लेख और भाषण, (अनुवाद) कोल. 19, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जीवनीमींस प्रकाशन समिति, मुंबई, 2005, पृष्ठ 283।
- 3) उपर्युक्त, पृष्ठ 146।
- 4) डॉ. लुलेकर प्रल्हाद। अनंत पैलूंचा सामाजिक योद्धा, (अनुवाद) पुणे, सायस प्रकाशन, 2011, पृष्ठ 66।